chdkuj uxj fuxe]

¼fookg LFky dk i:th;u½ mifo/kh;k& 2010

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एवं निगम द्वारा संपादित सेवाओं पर बढ़ते दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधी बनाया जाना आवश्यक हो गया है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी याचिका संख्या एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार ताया बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 04.04.08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था । अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 340 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम निम्न लिखित उपविधी बनाती है :–

1- 'kh"kd] lhek ,oa izHkko %&

(क) ये उपविधी बीकानेर नगर निगम (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 कहलायेंगे ।

(ख) ये उपविधी तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगी ।

(ग) ये उपविधी बीकानेर नगर निगम की सीमा में प्रभावशील होंगी ।

2- 'kkfCnd ifjHkk"kk,a %&

जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नाकिंत शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी :–

i. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है ।

ii. समिति से तात्पर्य नगरपालिका द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है ।

iii. स्थानीय निकाय से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम से है ।

iv. उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधी 2 के खण्ड (vii) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है ।

v. अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पंजियन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा ।

vi. अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य स्थानीय निकाय से शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ स्तर का नहीं होगा, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्वति सुनिश्चित की जावेगी ।

vii. विवाह स्थल से तात्पर्य स्थानीय निकाय की सीमा मे स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्मो/सामुदायिक केन्द्रो/भवनों /क्लबों/बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सगाई/शादी/जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/उत्सव/प्रदर्शनी/कन्वेंशन/गरबा उत्सव/नव वर्ष का आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते हैं ।

viii. ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपान्तरण/आवंटन, व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तो में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधी 2 के खण्ड (vii) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को ''विवाह स्थल'' पंजियन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा ।

ix. प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये है उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होगी ।

3- fu"k/k %&

स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल के प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा । वर्तमान में स्थापित विवाह स्थलों को भी निर्धारित प्रक्रिया अपना कर अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4- vuefr i= ikfIr dh i.kkyh %&

कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस का उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधियों के पूर्व स्थल का उपयोग, उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे :–

i. निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना होगा ।

ii. विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा :–

(क) महिला व पुरुष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय ।

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्नि शमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा ।

(ड) स्थानीय निकाय सीमा क्षेत्र में सड़क की चौडाई न्यूनतम 60 फीट होना अनिवार्य होगा । परंतु 1000 वर्गगज (3'X3') से कम क्षेत्र वाले मैरिज हॉल के संदर्भ में सम्बन्धित स्थानीय निकाय रोड़ चौड़ाई हेतु छूट प्रदान कर सकेगी । सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में समस्त स्थानीय निकाय सीमा में सड़क की चौडाई 30 फीट रहेगी।

(च) कचरा संग्रह की व्यवस्था तथा गन्दे पानी के निष्कासन की व्यवस्था

(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट

(ज) वाटर हार्वेस्टिंग

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है, आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगतिकरण इत्यादि ।

(ट) पार्किंग व्यवस्था/यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

iii. संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति ।

iv. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ.यू/अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि

संलग्न करनी होगी । एवं विवाह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालन किया जावेगा इस हेतु 10/– का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा ।

आवेदन पत्र के साथ विवाह स्थल हेतु पंजीयन शुल्क रूपयें 30,000/– (अखरे तीस हजार रूपये) जमा करवाना अनिवार्य है ।

y&vkmV Iyku d e[; tkp fcUn %&

5- ifØ;k %&

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह स्थल पंजियन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी । 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजीयन जारी किया जा सकेगा । यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

6- Hkfe@Hkou LokfeRo dh tkp %&

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नहीं पाये जावें तो उपविधी 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा । आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि को लौटाया नहीं जावेगा । आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा ।

7- vihy %&

विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी अपील

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन से अधिकृत समिति में की जा सकेगी ।

8- vkonu Lohd`r@vLohd`r dju dh le; lhek %&

स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा ।

9- ifrcU/kr {k= %&

a. ऐसे स्थान पर जहां पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थायें या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

b. विवाह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फीट की परिधी में प्रतिबन्धित होगी ।

c. राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

d. संचालित छात्रावास एवं रात्रिकालिन शिक्षण संस्थाओं से 100 फीट की परीधि में नये विवाह स्थल हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

10-fookg LFky ¼mi;ksx ,oa miHkksx½ ift;u ,oa vuefr 'kYd %&

(अ) विवाह स्थल पंजियन शुल्क रूपयें 30,000/– देय होगा ।

(ब) विवाह स्थल उपयोग एवं उपभोग का अनुमति शुल्क 30/–रूपयें प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा । यह शुल्क प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार देय होगा।

उपरोक्त विवाह स्थल पंजियन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति शुल्क स्थानीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क, कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा ।

ukV %& mifo/kh 10 d [k.M ¼v½ o ¼c½ d vUrxr tek djok;h xbZ 'kYd

dh jkf'k LFkkuh; fudk; }kjk vkonudrk dk okil ugh ykVkbZ tkoxh A

uohuhdj.k %& अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् विवाह स्थल पंजियन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा । तथा पूर्व पूर्तियों के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु :–

(क) यदि आवेदन प्राप्तकर्ता 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष विवाह स्थल उपयोग व उपभोग के लिए अनुमति शुल्क जमा करवा देता है तो उसे पर्याप्त माना जाकर नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का अनुमति शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

(ग) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों द्वारा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय अनुमति शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार अनुमति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह तक देय कुल अनुमति शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् प्रतिमाह के विलम्ब पर 15 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क शास्ति के रूप में देय होगा ।

11-fookg LFky ¼mi;kx o miHkkx½ vuqefr i= fuEu 'krkZ d s v/;k/khu gkxk %&

(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जायेंगें।

(ख) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी । सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा ।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी ।

(घ) विवाह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिये स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित नाम एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा। स्थानीय निकाय कचरे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रतिमाह एक मुश्त राशि निर्धारित कर पृथक से सेवा शुल्क के रूप में वसूल कर सकेगा।

(ड) अग्निशमन से संबंधित उपकरण लगवाकर स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

(च) स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठानें के लिये अलग से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा । अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले आउट प्लान में इंगित शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ज) प्रत्येक समारोह आयोजन के पूर्ण विवरण का रजिस्ट्रर (बुकिंग) रखना आवश्यक होगा।

(झ) जनता की सुविधा के लिये जनरेटर लगाने की व्यवस्था विवाह स्थल के अन्दर करनी होगी।

12- vfHk;kstu %&

स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नही होगा, विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा । यदि उपयोग एवं उपभोग

में निर्देशित शर्तो, उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित कर अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त शक्तियों से विवाह स्थल सम्पत्ति का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेन्ट किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी ।

13- le>kSrk %&

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 मे गठित समिति या नगर निगम द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

14-mifof/k;ks dk mYya?ku %&

इन उपविधियों में से किसी भी उपविधी का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10,000/— रूपयें का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधी संख्या 11 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी ।

15-vFkZn.M dh jkf'k dks LFkkuh; dk"k esa tek djokuk %&

अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार स्थानीय निकाय में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।

16-voS/k fookg LFkyks dk vfrØe.k gVkus dh dk;Zokgh %&

यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे स्थानीय निकाय द्वारा अवैध मानकर हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी ।

17- tujsVj :e dh O;oLFkk %&

यह है कि स्थानीय निकाय सीमा में स्थित विवाह स्थलों को जेनरेटर इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो ।

18- lkoZtfud LFkkuks dk lkekftd lekjksg grq mi;ksx ij jksd %&

यह है कि स्थानीय निकाय सीमा में स्थित विकास समिति गृह निर्माण एवं मौहल्ला विकास समिति जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडे गये हैं एवं जिनका विकास पार्क के रूप में हो चुका है, उनका उपयोग विवाह स्थलों हेतु नहीं किया

जावेगा, न ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किया जावेगा । उनका उपयोग जिस उद्धेश्य हेतु रखा गया हैं उसी उपयोग में लिया जा सकेगा ।

19- lkenkf;d dUnk@ lkoZtfud /keZ'kkykvk d fookg LFkyk d mi;kx ij 'kYd jkf'k e NV %&

भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है के पंजीकरण एवं अनुमति शुल्क हेतु उपविधी 10 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी, परन्तु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधी 10 से छुट होगी ।

20- ikfdx vkj ;krk;kr O;oLFkk lfuf'pr djuk %&

अनुमति प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सड़क के एक तरफ सिंगल लाईन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी ।

यातायात के संबंध में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलुस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा । किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलुस को अनुमति देने हेतु प्रतिबन्धित भी किया जा सकेगा ।

21- fookg LFkyk dh Hkfe dk vU; mi;kx ij ifrcU/k %&

अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल की अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिलाधीश को देनी आवश्यक होगी । स्थानीय निकाय द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को दृष्टिगत रखते हुये विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) हेतु जारी अनुमति पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति के रूप में स्वीकार या अंगीकार नहीं माना जावेगा । अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू– उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22-LFkkuh; fudk; dk lokfe/kdkj lqjf{kr %&

विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । स्थानीय निकायों द्वारा विवाह स्थल हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किए बिना निरस्त करने का अधिकार होगा । निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी ।

23-orZeku esa vof/k :i ls lapkfyr fookg LFkyksa dks fookg LFky vuqefr izek.k i= tkjh djus ds lEcU/k esa %&

स्थानीय निकाय कें प्राधिकृत अधिकारीयों द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपविधी 2 के खण्ड (vii) में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण उपविधि स्वीकृति के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोन वार सूची तैयार की जाकर उपविधी संख्या 10, 11, 12, 13 एवं 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

24-fujlu vkSj O;kofr;k %&

इन उपविधियों के प्रर्वतन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तिया निरस्त समझी जावेगी, लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया काई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा ।

25-vuqefr izkIrdrkZ ls 'kiFk&i= izkIr fd;k tkuk %&

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा ।

chdkusj uxj fuxe

i=&d

fookg LFky ¼mi;kx ,o miHkkx½ grq vuqefr i= izkIr djus ckcr
izkFkuk i=
chdkusj uxj fuxe ¼fookg LFky dk iath;u½ mifo/kh 2010 ds vUrxr

Jheku~ izkf/kd`r izkf/kdkjh]
chdkusj uxj fuxe

fo"k; %& fookg LFky grq uohu vuqefr izek.k i= tkjh djus@iqu% ekeyk tkjh vuqefr i= dk uohuhdj.k djus ds lca/k esa A

1. विवाह स्थल का नाम :
2. संचालक / मालिक / अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3. पता / दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मोबाइल) : ....
4. फैक्स / ई–मेल का पता : ....
5. स्थान का पूरा विवरण : ....
6. विवाह स्थल (भूखण्ड / भवन) का सम्पूर्ण (क्षेत्रफल बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार) : ....
7. यातायात / अन्य संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....
8. मकान मालिक / भूखण्ड की सहमति प्रमाण पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो । : ....
9. भूखण्ड / भवन के स्वामित्व से संबंधित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज : ....
10. विवाह स्थल का ले–आउट प्लान बिन्दु संख्या 4 (ii) में दी गई शर्तो को सुनिश्चित करते हुये : ....
11. अन्य विवरण : ....

मैने बीकानेर नगर निगम (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधी 2010 का अवलोकन / अध्ययन कर लिया है । मैं इन उपविधियों से आबद्ध रहूंगा । उक्त विवाह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें ।

chdkusj uxj fuxe

chdkusj uxj fuxe ¼fookg&LFky dk ith;u½ mifof/k 2010 ds

vUrxr

ii=&*[k*

&%% fookg LFky ¼mi;kx ,o miHkkx½ vuqefr i= %%&

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आप द्वारा दिनांक .... को जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति क्रमांक ....दिनांक .... के अन्तर्गत विवाह स्थल उपयोग हेतु किये गये आवेदन पर उपयोग एवं उपभोग निम्नानुसार जारी किया जाता है :–

1. अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. मालिका का नाम व पता : ....
4. दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मोबाईल) : ....
5. विवाह स्थल का नाम व पता : ....
6. जोन / क्षेत्र का नाम जिनके क्षेत्र में स्थापित होना है : ....
7. वार्ड नं. : ....
8. विवाह स्थल के बारे में विवरण : ....
9. वित्तीय वर्ष : ....
10. आपको निर्देशित किया जाता है कि विवाह स्थल का उपयोग उपरोक्त उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जावेगा, अन्यथा इस उपयोग एवं उपभोग को स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा ।

vk;qDr
chdkusj uxj fuxe

chdkuj uxj fuxe

chdkuj uxj fuxe ¼fookg LFky ¼mi;kx ,o miHkkx½ gr vuefr iklr djus gr vkonu&i=½ chdkuj uxj fuxe ¼fookg LFky dk i th;u mifo/kh 2010 vUrxr½

&% pd fyLV %&

विवाह स्थल का नाम : ....

अनुमति प्राप्तकर्ता का नाम : ....

fookg LFky dk fooj.k %& : ....

1. शौचालय व मूत्रालय का विवरण
   पुरूष : ....
   महिला : ....
2. अग्निशमन : अग्निशमन विभाग की अनापत्ति पत्र संलग्न है । : ....
3. यातायात : यातायात विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र : ....
4. स्थल के सामने मुख्य सड़क की चौड़ाई .... : ....
5. पार्किंग की व्यवस्था..................... : ....
6. कचरा पात्र की व्यवस्था : ....
   1. स्वयं का कचरा पात्र है
   2. नगर निगम से किराये पर लिया है
7. जनरेटर रूप की व्यवस्था : ....
8. स्थल पर प्रथम चिकित्सीय सुविधा : ....
9. गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था : ....
10. वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान : ....
11. नजदीक के अस्पताल से दूरी : ....
12. नजदीक फायर स्टेशन से दूरी : ....
13. नगरीय विकास कर का विवरण जमा करने की रसीद संख्या एवं दिनांक (मय फोटो प्रतिलिपि) : ....
14. अन्य विवरण : ....

gLrk{kj vuqefr iklrdrk